प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

15 जून 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'विनियमित संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं का विज्ञापन, विपणन और विक्रय' संबंधी संशोधन निदेशों के मसौदे जारी किए

दिनांक 6 फरवरी 2026 की विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में किए गए घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने 11 फरवरी 2026 को हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026 का मसौदा जारी किया था। संशोधन निदेशों के मसौदे में बैंकों और एनबीएफसी द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं (अन्य पक्ष उत्पादों और सेवाओं सहित) के विज्ञापन, विपणन और विक्रय संबंधी व्यापक अनुदेश देने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों (डीएसए) / प्रत्यक्ष विपणन एजेंटों (डीएमए) की गतिविधियाँ, डार्क पैटर्न, अपविक्रय (मिस-सेलिंग) की रोकथाम आदि जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं।

2. उपर्युक्त मसौदा निदेशों पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप संशोधनों को अंतिम संशोधन निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। प्राप्त प्रतिक्रिया संबंधी एक विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए हैं, जो 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे।

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
(v) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
(vii) भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

(viii) भारतीय रिज़र्व बैंक (सभी भारतीय वित्तीय संस्थाएं - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

(ix) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

(x) भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनियां) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय सेवाएं प्रदान करना) निदेश, 2025 के माध्यम से जारी, आरई द्वारा ऑफर किए जाने वाले 'एजेंसी कारोबार और संदर्भ सेवाएं' संबंधी विनियामक ढांचे में संशोधन करने वाले मसौदा निदेशों पर प्राप्त प्रतिक्रिया की भी जांच की गई है और परिणामस्वरूप संशोधनों को अंतिम संशोधन निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। संशोधन निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया संबंधी एक विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज निम्नलिखित संशोधन निदेश भी जारी किए हैं, जो **1 जनवरी 2027** से प्रभावी होंगे।

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - वित्तीय वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) संशोधन निदेश, 2026

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

(v) भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

(vii) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

(ब्रिज राज)

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/460 मुख्य महाप्रबंधक